अपील सूचना अधिकार संख्या 16/2017 अनवानी राधेश्याम गोयल पुत्र श्री भगवानदास गोयल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्र0), श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर
16/2017

10—04—2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 06.12.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्र0) श्रीगंगानगर से चाही गई सूचना उनके द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाई जावे एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे एवं उन पर 25000 रूपये का जुर्माना लगाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 06.12.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन) श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थीः—

> 1. माननीय मुख्य सूचना आयुक्त राज0 सूचना आयोग जयपुर के निर्णय दिनांक 15.10.2016 की पालना मे निम्न सूचना उपलब्ध करवाने की कृपा करे।
>
> राजस्थान सेवा नियम के वाल्यूम 1. पार्ट 1 (seventh edition) मे कोई अधिकारी या व्यक्ति या बीएलओ चुनाव के दौरान चुनाव डयूटी मे कार्यरत है मुख्यालय से बाहर जाता है तो उसे मुख्यालय छोडने की अनुमति किस अधिकारी से लेनी होगी (आवश्यक है) इस बाबत सूचना व परिपत्र व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन संख्या 12988 दिनांक 15.03.2017 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में उनके कार्यालय के पंत्र सं0 8862 दिनांक 06.01.2017 के द्वारा पंजिकृत डाक से प्रार्थी को निम्नानुसार सूचित कर दिया गया था। इसलिए अपील निरस्त की जावेः—

> उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके आवेदन पत्रांक 6344 दिनांक 02.12.2016 में मुख्य सूचना आयुक्त, राजस्थान सूचना आयोग जयपुर की अपील संख्या 6388 निर्णय दिनांक 19.10.2016 की पालना में सूचना चाही गई है।
>
> इस संबध में आपको अवगत करवाया जाता है कि राजस्थान सूचना आयोग राजस्थान, जयपुर का निर्णय दिनांक 19.10.2016 में प्रत्यर्थी राजस्थान लोक सूचना अधिकारी, निर्वाचन विभाग, शासन सचिवलाय जयपुर को पालनार्थ निर्दिष्ट किया गया है।
>
> इसके अलावा आपको निर्देशित किया जाता है कि अगर आप उक्त सूचना इस कार्यालय से प्राप्त करना चाहते है। तो किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय में उपस्थित होकर राजस्थान सेवा नियम के वॉल्यूम—1, पार्ट—1(seventh edition) का अवलोकन कर चिन्हित कर इस कार्यालय को अवगत करावें ताकि वांछित की प्रतिलिपि उपलब्ध करवाई जा सके।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

16/2017

अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उक्तानुसार जो जबाब दिया गया है, वह स्पष्ट नही है। इसलिए अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में आदेश प्राप्ति से 7 दिवस के भीतर उसे यदि सूचना देय बनती है तो नियमानुसार स्पष्ट सूचना उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 10.04.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर